

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2038/2010/सीकर.

मैसर्स कल्याण सर्विस स्टेशन,  
नीमकाथाना रोड, कांवट, सीकर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सीकर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 30/01/2017**

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 90/अपील्स-IV/09-10/सीकर में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2009 को पारित किया गया था उसमें वेट अधिनियम दिनांक 01.04.2006 को लागू होने पर वर्ष 2005-06 की अन्तिम स्टॉक पर आई.टी.सी. का जो क्लेम दिया जाना था वह इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि दिनांक 31.03.2006 के क्लॉजिंग स्टॉक पर वेट अधिनियम की धारा 19 के तहत देय आई.टी.सी. की सूचना आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.04.2006 एवं यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 02.06.2006 के अनुसार अन्तिम रूप से कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 15.06.2006 तक प्रस्तुत की जानी थी परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 15.06.2006 तक अनिवार्य प्रावधान अनुसार नहीं दिये जाने से इसका लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया था। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचन के साथ यह निर्णय किया

लगातार.....2

गया कि प्रावधानों के तहत आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश अनुसार सूचना हेतु नियत अन्तिम तिथि दिनांक 15.06.2006 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी विधिक रूप से क्लॉजिंग स्टॉक पर आई.टी.सी. का क्लेम लेने का अधिकारी नहीं है। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उनके दिनांक 31.03.2006 को अवस्थित क्लॉजिंग स्टॉक पर आई.टी.सी. रुपये 21,668/- का क्लेम नहीं दिये जाने की पुष्टि किया जाना त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी ने क्लॉजिंग स्टॉक सम्बन्धी सूचना दिनांक 15.06.2006 को कोरियर से भेज दी थी तथा वेट ऑडिट रिपोर्ट में भी क्लेम किया गया था। इस आधार पर आई.टी.सी. क्लेम दिये जाने के आदेश किये जाने का अनुरोध किया। इसी क्रम में आई.टी.सी. के समायोजन पर कम जमा पर ब्याज भी हटाये जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत रुपये 1815/- की जो शास्ति आरोपित की गयी है वह भी प्रथम वर्ष होने के कारण गलती से रही है अतः इस शास्ति को भी अपास्त करने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि यह तथ्यों पर आधारित प्रकरण है जिसमें प्रावधानों के अनुसार अन्तिम तारीख तक क्लॉजिंग स्टॉक की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई थी जबकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इसकी समय-सीमा बढ़ाते हुए अन्तिम तारीख 15.06.2006 रखी गयी थी। कथन किया कि स्वयं अपीलार्थी की ओर से यह माना गया है कि उनके द्वारा सूचना दिनांक 15.06.2006 को कोरियर से भिजवाई गई है जो यह सिद्ध करता है कि वह सूचना दिनांक 15.06.2006 के बाद ही विभाग को प्राप्त होगी अतः अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को भी विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत किये हैं, जिस पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।




7. अपीलीय आदेश पूर्णतया तथ्यों एवं विधि की विवेचना के साथ पारित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 19 के तहत क्लॉजिंग स्टॉक सम्बन्धी सूचना दिये जाने के अनिवार्य प्रावधान किये गये हैं एवं उस सन्दर्भ में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रथमतः सूचना देने का समय दिनांक 30.04.2006 रखा गया था, जिसे बाद में दिनांक 31.05.2006 तक बढ़ाया गया एवं उसे पुनः दिनांक 02.06.2006 के परिपत्र द्वारा दिनांक 15.06.2006 तक बढ़ा दिया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2006 तक यह सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी एवं सूचना निश्चित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत करने पर विलम्ब को माफ करने के भी कोई प्रावधान नहीं होने से अनिवार्य प्रावधानों के तहत सूचना प्राप्त नहीं होना प्रमाणित होने से लाभ दिया जाना विधि के विपरीत होगा। पत्रावली की जांच पर यह पाया गया कि अपीलार्थी ने जो कोरियर की रसीद प्रस्तुत की है उसको स्वयं कोरियर ने दिनांक 15.06.2006 को नीमकाथाना में प्राप्त की है जो सीकर के लिये भिजवाना बताया। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 15.06.2006 तक कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में यह सूचना नहीं दी गई थी अतः अपीलीय आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश यथावत रखा जाता है।

8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्रों को देरी से प्रस्तुत करने पर जो शास्ति आरोपित की गयी है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से यथावत रखी गयी है अतः इस सम्बन्ध में भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अधिक वसूल की गयी कर राशि को जब्त करने को यथावत रखने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है, अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य